

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 15/2020—Central Tax

G.S.R. 198(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with rule 80 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing of the annual return specified under section 44 of the said Act read with rule 80 of the said rules, electronically through the common portal, for the financial year 2018-2019 till 30.06.2020.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सं. 16/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 199(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में, 1 अप्रैल, 2020 से, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4क) आवेदक, उपधारा (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए आधार संख्या अधिप्रमाणन करवाएगा।”।

3. उक्त नियमों में, 1 अप्रैल, 2020 से, नियम 9 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जहां धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा-विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराने में असमर्थ रहता है वहां रजिस्ट्रीकरण, आवेदन की तारीख से साठ दिन के अपश्चात् उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, नियम 25 में उपबंधित रीति में केवल कारबार के मूल स्थान का वास्तविक सत्यापन करने के पश्चात् ही दिया जाएगा और ऐसे मामलों में उपनियम (5) के उपबंध लागू नहीं होंगे।”।

4. उक्त नियमों के नियम 25 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“कतिपय मामलों में, कारबार परिसर का वास्तविक सत्यापन- जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का वास्तविक सत्यापन रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने से पहले या रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के पश्चात् किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन में असफल होने के कारण अपेक्षित है वहां वह उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कर सकेगा, और फोटो सहित अन्य दस्तावेजों के साथ सत्यापन रिपोर्ट, ऐसे सत्यापन की तारीख से आगामी पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।”।